निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.01.2023 को लखीसराय जिलान्तर्गत NH 333 A (लखीसराय से शेखपुरा सीमा तक) 33.80-39.20 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले/ Transplant किये जाने वाले/ पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) के करने में बाधक वृक्षों के विस्थापन/ पुनर्स्थापन/ पातन के संबंध में ——— हुई बैठक का कार्यवाही:–

लखीसराय जिलान्तर्गत NH 333 A (लखीसराय से शेखपुरा सीमा तक) 33.80-39.20 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 सह पठित ज्ञापांक 673 दिनांक 01.09.2019 द्वारा गठित समिति से निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न प्रस्ताव में मुंगेर जिलान्तर्गत NH 333 A (लखीसराय से शेखपुरा सीमा तक) 33.80-39.20 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले कुल 2909 वृक्षों की गणना की गई है, जिसमें 0 वृक्षों को स्थल पर ही बने रहने हेतु चिन्हित, 1340 वृक्षों के पातन तथा 1569 वृक्षों का पुनर्स्थापन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

Sl. No.	Location	Tree marked to be translocated	Trees marked to be felled	Trees marked left as it is	Total Trees
1	Right Side	716	556	0	1272
2	Left Side	853	784	0	1637
	Total:-	**1569**	**1340**	**0**	**2909**

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1569 जीवित वृक्षों का पुनर्स्थापन स्वयं के व्यय पर चिन्हित स्थल पर किया जायेगा एवं अगले तीन वर्षों तक इसका रख–रखाव कार्य किया जायेगा।
2. पातित किये जाने वाले 1340 वृक्षों के पुनर्स्थापन के फलस्वरूप जीवित रहने की संभावना नहीं है अतः इन 1340 वृक्षों के पातन का निर्णय लिया गया। पातित काष्ठ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभागीय डिपो को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. पातित वृक्षों की क्षतिपूर्ति के एवज में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूरक राशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वन संरक्षण के इस प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार NPV, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, वृक्षों के पुनर्स्थापन पर व्यय एवं काष्ठ हथालन की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके लिये संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा प्राक्कलन प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त निर्णय के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

16/1/2023
(गौरव ओझा)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर

(संजय प्रकाश) 16/01/23
वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना

16/01/2023
(सुरेन्द्र सिंह)
निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः— पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19—107 दिनांकः—24-01-2023

प्रतिलिपि— प्रयोक्ता एजेन्सी की अतिरिक्त प्रति के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करा देगें तथा प्रस्ताव की सभी कंडिकाओं पर अनुपालन उच्चस्तरों को उपलब्ध करायेगें।

24/01/2023
निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः— पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19—107 दिनांकः—24-01-2023

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/2023
निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः— पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19—107 दिनांकः—24-01-2023

प्रतिलिपि— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/2023
निदेशक, पारि. एवं पर्या.